*प्रेस नोट*
*जनपद – संतकबीरनगर*
*दिनाँक 04.07.2026*

*ममता की मुस्कान लौटाने में सफल रही महुली पुलिस*

*पुलिस की त्वरित कार्रवाई, ग्रामीणों के सहयोग और बेहतर टीमवर्क से 15 किलोमीटर दूर सकुशल मिला 09 वर्षीय मासूम*

पुलिस अधीक्षक  संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के कुशल निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण एवं जन-सुरक्षा के लिए चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना महुली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई, संवेदनशीलता एवं मानवीय सरोकार का उत्कृष्ट परिचय देते हुए एक 09 वर्षीय लापता बालक को सकुशल बरामद कर उसके परिजनों के सुपुर्द किया।

*घटना का विवरण :* थाना महुली क्षेत्र के ग्राम रामुपुर से एक 09 वर्षीय बालक के अचानक लापता होने की सूचना प्राप्त होते ही स्थानीय पुलिस तत्काल सक्रिय हो गई। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराते हुए पुलिस टीम का गठन किया गया तथा बिना विलंब खोज अभियान प्रारंभ कर दिया गया।

पुलिस टीम ने गांव एवं आसपास के जंगलों, खेतों, संपर्क मार्गों तथा सुनसान स्थानों पर सघन कॉम्बिंग अभियान चलाया। पुलिस की तत्परता और सेवा-भाव से प्रेरित होकर बड़ी संख्या में ग्रामीण भी खोज अभियान में शामिल हुए और पुलिस के साथ मिलकर लगातार तलाश करते रहे।

लगातार कई घंटों की अथक मेहनत, सूझबूझ एवं प्रभावी टीमवर्क के परिणामस्वरूप पुलिस टीम ने बालक को उसके गांव से लगभग 15 किलोमीटर दूर ग्राम महादेव क्षेत्र के पास सकुशल बरामद कर लिया। बालक पूर्णतः सुरक्षित एवं स्वस्थ पाया गया।

जैसे ही पुलिस टीम मासूम को लेकर गांव पहुंची, परिजनों की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। पूरे गांव में राहत और खुशी का वातावरण व्याप्त हो गया। पीड़ित परिवार एवं ग्रामीणों ने महुली पुलिस की त्वरित कार्रवाई, संवेदनशीलता और कर्तव्यपरायणता की मुक्त कंठ से सराहना करते हुए पूरी पुलिस टीम का हृदय से आभार व्यक्त किया।

यह कार्रवाई इस बात का प्रमाण है कि पुलिस और जनता के बीच समन्वय एवं विश्वास किसी भी चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में सकारात्मक परिणाम सुनिश्चित कर सकता है।

*जनसंदेशः जनता का विश्वास ही पुलिस का मुख्य प्रयास है। किसी भी आपात स्थिति अथवा अप्रिय घटना की सूचना तत्काल अपने निकटतम थाने या आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर पर दें। आपकी सुरक्षा एवं सहायता हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है।*

***आज दिनांक 04.07.2026 को थाना महुली अन्तर्गत ग्राम रामपुर से 09 वर्षीय बालक लापता होने तथा महुली पुलिस व स्थानीय ग्रामीणों की अथक प्रयास से सकुशल बरामद कर उसके परिजनों को सुपुर्द करने के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकारी धनघटा द्वारा दी गयी बाइट***

***"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप एनडीपीएस एक्ट के मामले में 01 अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि व कुल 2500 रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित***

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *__श्री संदीप कुमार मीना__* के निर्देशन में चलाए जा रहे *__"ऑपरेशन कन्विक्शन"__* अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में आज दिनाँक 04.07.2026 को माननीय न्यायालय न्यायालय सी0जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर द्वारा 01 अभियुक्त को जेल में बिताई गयी अवधि व कुल 2500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

***घटना विवरणः-***

वादी मुकदमा एस0एच0ओ0 श्री राकेश सिंह यादव थाना दुधारा द्वारा दिनांक 21.10.2017 को अभियुक्त अवनीश सिंह उर्फ टोनी सिंह पुत्र संतोष सिंह निवासी भरवलिया बाबू थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर के सुभाष चन्द्र द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

***सजा विवरणः-***

मु0अ0सं0 1683/2017 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्त अवनीश सिंह उपरोक्त को मा0 न्यायालय द्वारा जुर्मस्वीकार/ दोषसिद्धि के आधार पर जेल में बिताई गयी अवधि व 2500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड की अदायगी न करने पर अभियुक्त उपरोक्त को 07 दिवस का साधारण कारावास भुगतना होगा।

***"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप मारपीट करने के मामले में 01 अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व कुल 3000 रुपये के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित***

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *__श्री संदीप कुमार मीना__* के निर्देशन में चलाए जा रहे *__"ऑपरेशन कन्विक्शन"__* अभियान के दृष्टिगत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनाँक 04.07.2026 को श्रीमान न्यायालय सी0जे0(जे0डी0)/ए0सी0जे0एम0 जनपद संतकबीरनगर द्वारा 01 अभियुक्त को न्यायालय उठने तक की सजा व कुल 3,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

***घटना विवरणः-***

वादी मुकदमा श्री अशर्फी पुत्र सूर्यबली निवासी कटया थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर द्वारा दिनांक 23.05.2011 को अभियुक्त पिण्टू पुत्र रामभजन निवासी कटया थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर के विरुद्ध मारपीट करने के सम्बन्ध में थाना बखिरा पर प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। विवेचक उ0नि0 श्री राजमन यादव द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया था।

***सजा विवरणः-***

एन0सी0आर0 नं0 110/2011 धारा 323/504/506 भादवि थाना बखिरा से सम्बन्धित अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि/जुर्मस्वीकार के आधार पर न्यायालय उठने तक की सजा व प्रत्येक को कुल 3000 रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड न अदा करने पर 01 माह के कारावास का दण्ड भुगतना पड़ेगा।

***थाना धर्मसिहंवा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए 01 अदद अवैध देशी तमंचा .315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार***

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी मेंहदावल ***श्री सर्व दवन सिंह*** के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष धर्मसिहंवा ***श्री सुरेन्द्र कुमार सिंह*** के नेतृत्व में गठित टीम पुलिस द्वारा अभियुक्त नाम पता अंकित पुत्र पंचम निवासी मेंहदूपार थाना धर्मसिहंवा जनपद संतकबीरनगर को भुलकी के पास से 01 अदद अवैध देशी तमंचा .315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ दिनाँक 04.07.2026 को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय रवाना किया गया तथा गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना धर्मसिहंवा पर मु0अ0सं0 73/2026 धारा 3/25 आयुध अधिनियम पंजीकृत किया गया।

***गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-***

01. अंकित पुत्र पंचम निवासी मेंहदूपार थाना धर्मसिहंवा जनपद संतकबीरनगर।

***बरामदगी का विवरण:-***

01 अदद अवैध देशी तमंचा .315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर।

***पुलिस टीम का विवरण:-*** उ0नि0 श्री विनय कुमार राय, कां0 ओमवीर सिंह, कां0 अमृतेश मिश्रा।

***संतकबीरनगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई:- डग्गामार और स्लीपर बसों के खिलाफ अभियान में 11 बसों का 01 लाख 11 हजार रु0 का किया गया चालान***

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के कुशल निर्देशन में शून्य सहनशीलता (Zero Tolerance) नीति के तहत यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले और अवैध रूप से संचालित वाहनों के खिलाफ संतकबीरनगर पुलिस / एआरटीओ0 द्वारा सख्त अभियान चलाया जा रहा है।

आज दिनांक 04.07.2026 को जेडएफडी (ZFD) प्रोग्राम के अंतर्गत एक विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत ए.आर.टी.ओ. (ARTO) संतकबीरनगर *प्रियंवदा सिंह*, क्षेत्राधिकारी यातायात *श्री अमित कुमार* एवं यातायात प्रभारी *श्री परमहंस* द्वारा संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए जनपद के विभिन्न मार्गों पर अवैध रूप से संचालित डग्गामार बसों और स्लीपर बसों की सघन चेकिंग की।

***कार्रवाई के मुख्य बिंदु:-***

- ***11 बसों का किया गया चालान:-*** चेकिंग के दौरान आवश्यक दस्तावेज न होने और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर 11 बसों का 01 लाख 11 हजार रु0 का चालान किया गया।
- ***प्रेशर हॉर्न और प्रदूषण पर कार्रवाई:-*** ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले अवैध प्रेशर हॉर्न और तय मानकों से अधिक धुआं छोड़ने वाली (प्रदूषण फैलाने वाली) बसों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उनके चालान काटे गए।

संयुक्त टीम द्वारा स्पष्ट संदेश दिया गया है कि जनपद की सीमाओं के भीतर किसी भी प्रकार के अवैध वाहन संचालन, डग्गामार बसों और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। आम जनता की सुरक्षा और सुगम यातायात व्यवस्था के लिए इस प्रकार के औचक चेकिंग अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेंगे।

***दबिश के दौरान 07 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार***

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में ***थाना महुली पुलिस*** द्वारा 02 नफर वारण्टी नाम पता 01. रामबुझारत पुत्र दुन्ना उर्फ दूलम हरिजन साकिन छितही, 02. लवकुश पुत्र जगदीश साकिन नैनाझाला थाना महुली जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

***गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः-*** उ0नि0 श्री अजय कुमार भारती, उ0नि0 श्री अशोक कुमार सिंह, का0 छोटेलाल कनौजिया, का0 सुनील कुमार सिंह।

***थाना बखिरा पुलिस*** द्वारा 02 नफर वारण्टी नाम पता 01. रामकेवल पुत्र सीता निवासी झुंगिया, 02. निसार अहमद उर्फ गुड्डू पुत्र मो0 इस्लाम निवासी नन्दौर थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

***गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः-*** उ0नि0 श्री राम मिलन साहनी, उ0नि0 श्री संजय सिंह, का0 प्रमोद शर्मा, का0 लवकेश यादव।

***थाना मेंहदावल पुलिस*** द्वारा 03 नफर वारण्टी नाम पता 01.जयराम यादव पुत्र सन्तराम यादव निवासी ददरा, 02.प्रदुम्न पुत्र ईश्वर चौरसिया निवासी टिकरी, 03.पप्पू पुत्र हरिराम चौरसिया निवासी टिकरी थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

***गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरणः-*** उ0नि0 श्री रामवशिष्ठ, कां0 लालजी , कां0 अमेरिका प्रसाद , रि0का0 हर्ष शुक्ला , रि0का0 आशुतोष शुक्ला।

***शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 05 अभियुक्त गिरफ्तार***

***थाना दुधारा पुलिस*** द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
***थाना बखिरा पुलिस*** द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
***थाना धर्मसिंहवा पुलिस*** द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

*पीआरवी आफ द डे*

***पीआरवी 8292 द्वारा सड़क दुर्घटना में घायल 03 व्यक्तियों को पहुँचाया गया अस्पताल–*** पीआरवी 8292 को थाना मेहंदावल क्षेत्रांतर्गत संस्कार मण्डप के पास से कालर द्वारा दो बाईक का आपस में टक्कर होने के कारण दुर्घटना में घायल 03 व्यक्तियों (1.दिनेश यादव पुत्र सुखदेव यादव सा0 बनकसिया थाना मेहंदावल जनपद सन्तकबीरनगर 2.उमेश पुत्र अजोरे 3.जितेन्द्र पुत्र रामजनक सा0 औरही थाना मेहंदावल जनपद सन्तकबीरनगर) के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना प्राप्त होते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को ईलाज हेतु सी0एच0सी मेहंदावल भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना मेहंदावल को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घायल व्यक्तियों को ईलाज हेतु सी0एच0सी मेहंदावल भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।
***पीआरवी स्टाफ-*** का0 दीपक कुमार, हो0गा0चा0 वसील अहमद।

***मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 87 वाहनों से 94000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया***

आज दिनाँक 04.07.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 87 वाहनों से 94000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।